

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 538
उत्तर देने की तारीख : 25.07.2024

सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

538. कुमारी सुधा आर :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सीजीटीएमएसई के अंतर्गत राज्य-वार और तमिलनाडु में जिला-वार कुल कितने मामलों और दावों का निपटान किया गया है;
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के लाभार्थियों की राज्य-वार और तमिलनाडु में जिला-वार कुल संख्या कितनी है; और
- (घ) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और इस योजना की पहुंच/कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री जीतन राम मांझी)**

(क) से (ग): (i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) अपनी सदस्य ऋणप्रदाता संस्थाओं को उनके द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एसएमएसई) को दिए गए ऋणों के लिए कोलेटरल सुरक्षा और तृतीय पक्ष गारंटी के बिना क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है। विगत पांच वर्षों के दौरान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार) अनुमोदित सीजीटीएमएसई गारंटियों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। तमिलनाडु राज्य के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान अनुमोदित सीजीटीएमएसई गारंटियों का विवरण (जिला-वार) अनुबंध-II में दिया गया है।

(ii) विगत पांच वर्षों के दौरान देशभर में (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार) और तमिलनाडु राज्य (जिला-वार) में सीजीटीएमएसई दावों, जिनमें इनकी संख्या और निपटान की गई राशि शामिल है, का विवरण क्रमशः अनुबंध-III और अनुबंध-IV में संलग्न है।

(घ): सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ाने और क्रेडिट गारंटी स्कीम की पहुंच एवं कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का विवरण निम्नानुसार है:

- (i) **गारंटी सीमा में वृद्धि** – गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है।
- (ii) **वार्षिक गारंटी शुल्क में कमी** – गारंटी शुल्क की नई संरचना लागू की गई है, जिसमें शुल्क को 2% प्रति वर्ष की अधिकतम दर से घटाकर 0.37% प्रति वर्ष कर दिया गया है।
- (iii) **कानूनी कार्रवाई से छूट** – दावा दायर करने और उनका निपटान करने में आसानी के लिए सदस्य ऋणप्रदाता संस्थाओं द्वारा दावा करते समय कानूनी कार्रवाई करने से छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।
- (iv) **विशेष श्रेणी के ऋणप्राप्तकर्ताओं के लिए रियायत** – महिलाओं, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस वर्ग के उद्यमियों को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में शुल्क में 10% की छूट तथा 85% कवरेज की शुरुआत की गई है।

“सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)” पर लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 538, जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2024 को दिया जाना है, में संदर्भित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित सीजीटीएमएसई गारंटी											
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	अंडमान और निकोबार	264	29	329	25	374	35	495	50	600	128
2	आंध्र प्रदेश	50,562	1,557	163,610	1,560	49,848	1,456	237,520	3,545	79,938	5,395
3	अरुणाचल प्रदेश	415	47	464	55	628	82	935	147	981	198
4	असम	14,070	687	12,158	673	14,918	1,262	21,195	2,156	34,556	3,750
5	बिहार	24,531	1,303	22,317	1,086	24,217	1,661	42,360	3,468	113,262	8,582
6	चंडीगढ़	1,778	134	1,274	97	1,382	159	1,706	303	2,459	604
7	छत्तीसगढ़	14,022	706	12,970	552	9,670	776	17,733	1,569	25,845	2,968
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव	447	59	726	50	447	102	505	110	1039	276
9	दिल्ली	24,917	2,183	12,757	1,557	15,810	2,769	21,458	4,897	35,127	8,527
10	गोवा	2,594	183	2,235	135	2,218	174	2,826	325	4,947	611
11	गुजरात	58,595	3,859	40,397	2,960	34,929	4,836	43,336	8,209	106,073	19,668
12	हरियाणा	25,916	1,583	18,499	1,218	22,285	2,707	30,343	5,025	48,455	8,553
13	हिमाचल प्रदेश	7,538	437	8,572	487	10,075	792	14,898	1,275	20,600	2,080
14	जम्मू और कश्मीर	12,887	416	21,371	714	38,352	1,295	51,431	1,808	53,295	2,415
15	झारखंड	15,340	1,116	14,996	860	12,953	1,247	21,090	2,488	34,800	4,432
16	कर्नाटक	68,572	4,069	50,974	3,225	41,028	4,308	53,766	7,712	135,959	14,016
17	केरल	33,739	1,248	28,810	1,005	18,937	1,104	25,761	2,121	45,515	4,590
18	लद्दाख	26	2	110	12	205	23	467	44	637	84
19	लक्षदीप	52	1	72	2	11	1	25	3	7	1
20	मध्य प्रदेश	40,822	2,098	60,835	1,893	64,108	2,651	50,289	5,290	75,023	9,569
21	महाराष्ट्र	83,709	5,808	71,850	4,416	56,027	6,840	66,055	11,926	129,892	23,359
22	मणिपुर	939	42	830	41	1,294	101	2,268	171	1,580	111
23	मेघालय	1,153	70	1,063	60	886	93	1,410	160	1,693	252
24	मिजोरम	473	29	431	30	1,029	86	1,032	74	1,232	73
25	नागालैंड	917	61	1,120	68	1,692	139	1,813	162	1,563	160
26	ओडिशा	26,167	1,347	28,288	1,134	25,788	1,801	34,081	3,045	56,392	6,109
27	पुडुचेरी	1,578	80	1,588	67	1,013	74	1,087	107	2,418	233
28	पंजाब	24,542	1,022	20,379	865	23,172	1,661	49,720	4,385	81,259	9,632
29	राजस्थान	41,289	1,998	32,883	1,441	38,622	2,553	72,391	5,366	85,848	9,180
30	सिक्किम	435	23	340	16	479	34	765	61	1,108	102
31	तमिलनाडु	89,725	4,353	61,535	3,344	44,897	4,134	61,883	7,114	113,815	15,061
32	तेलंगाना	39,162	2,212	22,021	1,408	24,009	1,959	29,792	3,503	41,940	6,368
33	त्रिपुरा	1,378	54	1,673	58	2,020	115	3,845	207	6,523	381
34	उत्तर प्रदेश	89,271	4,154	78,655	3,727	86,616	5,628	130,769	10,742	247,258	21,200
35	उत्तराखंड	11,158	482	9,671	441	10,048	629	16,296	1,177	26,361	2,253
36	पश्चिम बंगाल	37,667	2,398	29,789	1,618	37,033	2,887	54,440	6,036	106,073	11,887
	कुल	846,650	45,851	835,592	36,899	717,020	56,172	1,165,786	104,781	1,724,073	202,807

“सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)” पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 538, जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2024 को दिया जाना है, में संदर्भित अनुबंध

तमिलनाडु राज्य के लिए अनुमोदित सीजीटीएमएसई गारंटी (जिला-वार)											
क्र. सं.	जिला	राशि (करोड़ रुपए में)									
		वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	अरियालुर	431	13.00	208	6.66	366	8.90	979	112.09	709	98.91
2	चैन्ने	14,802	1,217.39	8,823	904.91	7,132	1,269.18	10,051	2,083.07	20,559	4,395.55
3	कोयंबदूर	8,862	540.33	6,575	444.90	4,063	547.37	5,047	819.40	9,836	1,514.66
4	कुड्डालोर	1,738	47.15	1,202	40.30	1,236	59.63	1,353	94.94	2,773	227.79
5	धर्मपुरी	1,234	42.29	831	35.77	578	29.45	1,446	104.29	2,102	215.72
6	डिंडीगुल	1,806	58.15	1,013	39.55	860	58.93	1,035	92.92	1,900	218.10
7	इरोड	3,453	145.13	2,358	120.90	1,423	135.60	2,041	243.85	3,331	442.12
8	कांचीपुरम	5,401	224.93	3,551	175.75	2,369	222.47	3,382	377.63	7,408	889.03
9	कन्याकुमारी	2,660	64.40	2,063	54.96	1,581	46.35	2,134	95.51	3,178	197.08
10	करूर	1,468	67.50	814	46.97	600	48.78	770	87.87	1,424	176.62
11	कृष्णागिरि	2,208	110.45	1,641	103.35	1,136	104.88	1,689	221.39	2,987	392.15
12	मदुरै	4,885	214.11	2,713	128.13	1,586	124.93	3,215	266.80	4,198	564.19
13	नागपट्टिनम	1,093	29.22	587	17.36	756	28.47	1,257	54.03	2,253	117.95
14	नमक्कल	1,840	89.34	1,454	72.07	1,219	108.61	1,427	165.68	2,451	327.14
15	नीलगिरी	392	16.17	505	13.72	397	12.61	349	21.07	612	49.39
16	पेराम्बलूर	272	12.78	248	11.16	182	15.25	302	32.83	476	74.01
17	पुदुक्कोट्टई	1,132	41.22	838	29.01	532	25.55	784	49.92	1,683	139.33
18	रामनाथपुरम	799	21.70	774	21.48	638	27.05	611	42.73	1,543	92.21
19	सलेम	6,037	219.54	3,416	155.01	2,259	174.85	3,095	336.16	5,188	681.44
20	शिवगंगा	1,164	28.95	1,095	31.81	753	34.68	1,074	60.20	1,538	134.79
21	तंजावुर	3,468	92.09	1,931	54.83	1,322	49.26	1,750	97.72	2,782	311.29
22	थेनी	824	25.65	845	30.10	584	32.25	625	48.08	1,217	122.97
23	थूथूक्कुडी	1,531	50.00	1,062	41.96	673	45.73	1,377	82.41	2,645	200.01
24	तिरुचिरापल्ली	3,097	118.61	2,266	96.89	1,515	98.35	1,709	177.76	3,532	433.32
25	तिरुनेलवेली	3,433	100.73	2,464	76.19	1,797	86.83	2,519	151.93	4,252	328.51
26	तिरुपुर	2,057	201.81	1,277	155.77	1,405	240.12	2,032	359.66	3,927	801.90
27	तिरुवल्लुर	5,098	263.46	3,785	185.21	1,776	200.05	2,292	312.22	6,301	708.08
28	तिरुवन्नामलाई	1,785	42.95	1,657	42.79	1,392	52.90	1,879	105.09	2,966	269.07
29	तिरुवरूर	884	24.06	547	14.96	549	19.16	376	24.97	940	57.77
30	वैल्लोर	2,383	95.30	2,165	74.42	1,940	109.68	2,447	162.47	3,550	341.68
31	विलुप्पुरम	1,470	49.58	1,217	39.24	1,209	50.09	1,248	96.62	2,927	244.41
32	विरुधुनगर	2,018	84.84	1,610	77.82	1,069	65.62	1,588	132.61	2,627	293.95
	कुल	89,725	4352.82	61,535	3,343.95	44,897	4,133.60	61,883	7,113.94	1,13,815	15,061.13

“सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)” पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 538, जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2024 को दिया जाना है, में संदर्भित अनुबंध

सीजीटीएमएसई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दावा निपटान											
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (करोड़ रुपए में)									
		वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	अंडमान और निकोबार	8	0.27	6	0.13	16	0.56	20	0.30	82	2.10
2	आंध्र प्रदेश	561	9.97	368	8.61	1,983	28.55	5,838	47.97	7,730	60.37
3	अरुणाचल प्रदेश	243	4.07	146	2.37	34	1.15	125	5.32	170	4.94
4	असम	1,659	27.88	1,140	16.66	1,462	20.74	2,685	40.56	3,240	63.18
5	बिहार	1,864	34.49	1,576	35.98	2,399	46.71	3,667	65.04	6,518	124.93
6	चंडीगढ़	199	6.64	51	1.55	150	2.96	243	8.68	190	5.14
7	छत्तीसगढ़	508	9.44	319	6.25	1,063	16.64	1,489	28.53	1,931	36.88
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव	15	1.67	8	0.64	36	1.47	50	3.03	48	2.11
9	दिल्ली	818	34.71	458	19.94	1,673	61.30	2,579	87.67	2,356	102.20
10	गोवा	85	2.88	60	2.97	143	4.36	263	9.82	107	3.99
11	गुजरात	1,292	41.08	884	33.61	2,905	69.33	3,481	89.11	5,159	123.41
12	हरियाणा	550	21.20	503	17.42	1,716	42.61	2,202	55.87	3,108	77.25
13	हिमाचल प्रदेश	565	11.98	316	6.69	399	8.96	482	13.67	1,161	25.42
14	जम्मू और कश्मीर	596	7.16	278	4.40	538	4.18	505	8.16	1,054	15.28
15	झारखंड	2,346	56.50	1,786	49.06	2,415	63.21	2,440	60.55	3,531	83.93
16	कर्नाटक	3,726	92.73	3,249	81.73	5,674	119.52	8,291	176.47	7,740	186.25
17	केरल	3,084	39.05	2,118	27.96	3,665	50.08	7,120	98.06	6,309	102.91
18	लद्दाख	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.04
19	लक्षदीप	0	0.00	1	0.06	0	0.00	0	0.00	1	0.005
20	मध्य प्रदेश	2,764	47.93	2,200	41.85	4,065	72.05	10,587	132.61	12,522	190.74
21	महाराष्ट्र	6,193	144.27	3,842	84.22	9,419	185.10	9,893	223.71	12,343	316.82
22	मणिपुर	373	4.16	289	2.62	115	1.75	193	2.72	479	12.25
23	मेघालय	113	1.61	78	0.89	163	1.80	193	2.96	177	2.89
24	मिजोरम	28	0.55	20	0.26	25	0.87	77	2.14	174	5.83
25	नागालैंड	237	2.73	195	1.57	99	1.45	348	3.91	147	3.09
26	ओडिशा	2,138	42.54	1,256	23.27	2,345	39.73	2,630	54.43	5,223	90.35
27	पुडुचेरी	51	0.93	35	0.87	123	2.45	141	1.81	226	4.88
28	पंजाब	937	30.92	495	16.54	1,656	37.09	1,893	48.53	3,005	61.45
29	राजस्थान	820	23.24	481	11.51	2,197	41.89	3,099	58.69	5,477	89.65
30	सिक्किम	7	0.19	3	0.02	9	0.06	45	0.79	40	0.99
31	तमिलनाडु	3,157	78.98	2,062	50.83	6,453	117.21	9,039	162.94	11,272	218.60
32	तेलंगाना	909	25.01	787	17.32	3,169	62.79	3,529	72.38	3,079	68.81
33	त्रिपुरा	121	1.34	156	1.33	77	0.92	141	1.53	262	5.35
34	उत्तर प्रदेश	6,800	124.63	5,002	106.20	7,420	137.81	13,607	221.51	20,334	356.60
35	उत्तराखंड	301	6.81	287	7.51	626	10.65	920	14.36	1,534	28.66
36	पश्चिम बंगाल	2,130	63.99	1,042	33.57	3,316	73.19	4,463	106.55	5,892	159.63
	कुल	45,198	,001.58	31,497	716.41	67,548	1,329.13	102,278	1,910.35	132,622	2,636.92

“सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)” पर लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 538, जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2024 को दिया जाना है, में संदर्भित अनुबंध

तमिलनाडु राज्य के लिए (जिला-वार) सीजीटीएमएसई-दावा निपटान											
क्र.सं.	जिला	राशि (करोड़ रुपए में)									
		वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	अरियालुर	9	0.06	15	0.18	33	0.67	67	0.85	55	1.12
2	चैन्ने	1,382	37.13	582	19.91	1,300	31.33	1,604	47.11	1,690	52.40
3	कोयंबटूर	405	16.30	203	6.69	652	18.21	794	18.00	1,114	26.77
4	कुड्डालोर	38	0.61	39	0.94	134	1.58	213	2.50	335	4.14
5	धर्मपुरी	8	0.26	2	0.05	29	0.27	47	0.56	134	2.55
6	डिंडीगुल	36	0.76	32	0.51	287	2.36	177	2.05	168	2.04
7	इरोड	71	1.05	38	1.69	160	3.05	261	6.20	401	6.84
8	कांचीपुरम	101	2.29	92	1.73	416	7.02	366	6.03	624	12.52
9	कन्याकुमारी	127	1.19	117	1.16	221	1.72	331	3.43	253	2.69
10	करूर	36	0.37	28	1.01	108	2.56	110	2.40	198	5.05
11	कृष्णागिरि	18	0.68	37	0.80	113	1.68	133	1.98	365	4.88
12	मदुरै	76	1.47	86	1.59	342	6.11	671	11.80	464	7.19
13	नागपट्टिनम	8	0.09	10	0.11	25	0.26	77	0.77	190	2.30
14	नमक्कल	33	1.21	35	0.88	109	2.16	165	4.00	236	4.80
15	नीलगिरी	7	0.13	34	0.24	39	0.51	58	0.47	139	1.89
16	पेराम्बलूर	12	0.22	24	0.68	17	0.39	38	0.45	46	0.58
17	पुदुक्कोट्टई	16	0.32	14	0.46	56	0.95	147	1.92	210	3.14
18	रामनाथपुरम	106	0.96	68	0.53	82	0.60	182	2.44	183	3.15
19	सलेम	81	1.45	81	1.54	236	4.21	473	7.84	682	15.63
20	शिवगंगा	14	0.24	20	0.56	107	0.89	87	1.01	182	1.80
21	तंजावुर	66	0.79	100	1.50	213	2.32	263	3.13	443	4.78
22	थेनी	27	0.65	27	0.47	105	0.76	128	1.32	175	2.03
23	थूथूक्कुडी	60	0.51	27	0.35	115	1.73	159	1.75	135	2.36
24	तिरुचिरापल्ली	38	0.52	44	1.08	212	3.35	338	5.68	310	4.65
25	तिरुनेलवेली	77	1.20	70	1.54	220	2.97	452	4.95	412	5.93
26	तिरुपुर	77	2.71	34	1.07	108	4.17	160	4.23	230	7.53
27	तिरुवल्लुर	79	2.46	52	0.90	415	8.10	405	7.93	585	10.19
28	तिरुवन्नामलाई	30	0.71	27	0.38	194	0.79	362	1.83	329	3.03
29	तिरुवरूर	3	0.13	14	0.13	30	0.29	88	0.83	121	1.14
30	वैल्लोर	45	0.94	44	0.95	217	3.38	203	2.61	401	8.29
31	विलुप्पुरम	31	0.60	42	0.95	55	0.93	200	2.53	235	2.83
32	विरुधुनगर	40	0.98	24	0.23	103	1.89	280	4.34	227	4.36
	कुल	3,157	78.98	2,062	50.83	6,453	117.21	9,039	162.94	11,272	218.60

स्रोत:सीजीटीएमएसई